न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः– 258/2012

रतनलाल बनाम सांवरमल माली

<u>वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मु0 न0 258/2012 उनवानी रतनलाल बनाम सांवरमल माली में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151जा0 दी0</u>

निर्णय दिनांक 17.01.2023

वादी ने जरिये वकील ने हाजा न्यायालय में दिनांक 31.07.2012 को एक वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा मंसुख कराने डिक्री मु0 न0 258/2012 उनवानी रतनलाल बनाम सांवरमल माली का पेश किया। वादी ने वादपत्र में कस्बा उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा न. 1098, 1104 तथा 1726 में प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अनुतोष चाहा है तथा उक्त भूमि को प्रतिवादी किसी दीगर व्यक्ति को बेचान ना करने, कोई विक्रय अनुबन्ध पत्र नहीं लिखने, तथा उक्त भूमि पर कोई पुख्ता तथा निर्माण नहीं करने का अनुतोष चाहा है व तादौराने वाद मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का अनुतोष चाहा है।

प्रार्थी/प्रतिवादी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का एवं धारा 151 सीपीसी इस आशय का पेश किया है कि कस्बा उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा न. 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1723, 1725, 1726, 1727, 2295, 2296, 2297, 2298, 2500, 2509, 2510, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2661, 2943, 2944, 2949, 3005, 3007, 3008, 3072, 340/3073, 3469/2740 कुल किता 51 का कुल रकबा 17.1800 है0 का दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा को पेश किया है जबकि उक्त खसरा न. माफी मन्दिर श्री गिरधारी जी वाके किरोड़ी खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है इसलिए वादी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम ही नहीं है इस कारण वादी का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए वादपत्र खारिज होने योग्य है। वादी ने माफी मन्दिर श्री गिरधारी जी वाके किरोड़ी खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उसको वादी ने वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया है तथा ना ही लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी को पक्षकार बनाया है जो आवश्यक पक्षकार है इसलिए वादी का वादपत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दी. के तहत खारिज होने योग्य है। मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग है उसकी खातेदारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई हक व अधिकार नहीं है इसलिए वादी का कोई वाद कारण पैदा नहीं हुए हैं। अतः प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दी. का मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र की नकल वकील अप्रार्थी/वादी को दिलाई गई।

वकील वादी/अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि माफी मन्दिर श्री गिरधारी जी वाके किरोड़ी खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है, लेकिन उक्त भूमि पर वादी के पूर्वज अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त थे तथा आज वादी अपने हिस्से में आयी भूमि पर काबिज है व अपने परिवार सहित आबाद है इस प्रकार उक्त भूमि में वादी के हित निहित है तथा प्रतिवादी द्वारा उक्त मन्दिर माफी की भूमि का बेचान करने की धमकी देने से वादी के लिए वाद कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में से वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त सिर्फ खसरा न. 1098, 1104, 1726 पर ही था इसलिए वादी ने अपने वादपत्र में खसरा न. 1098, 1104, 1726 में ही रिलिफ चाही है। अन्य वर्णित खसरा न. से वादी का कोई विवाद नहीं है। वादी ने अपने वादपत्र में [illegible] लैण्ड होल्डर के खिलाफ कोई रिलिफ नहीं चाहा है। अप्रार्थी ने अपने अतिरिक्त कथन में बताया [illegible] उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मन्दिर के नाम दर्ज है लेकिन उक्त भूमि वादी एवं वादी के पूर्वजों की [illegible] काश्त की भूमि है तथा आज भी वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है उक्त भूमि का राजस्व [illegible] मन्दिर के नाम दर्ज [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:44:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी को उक्त भूमि का बेचान करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है लेकिन प्रतिवादी ने पहले भी कई बार उक्त भूमि का बेचान कर दिया था तथा अब भी उक्त भूमि का बेचान करने पर आमादा है। वादी ने अपने वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था तथा न्यायालय हाजा ने वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया था कि प्रतिवादी के खिलाफ पुलिस थाना उदयपुरवाटी में रिपोर्ट दर्ज करवाई जावे आदेशानुसार हल्का पटवारी ने प्रतिवादी के खिलाफ पुलिस थाना उदयपुरवाटी में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसमें प्रतिवादी को गिरफ्तार भी किया गया था इस प्रकार बिल्कुल साफ है कि प्रतिवादी भू माफियाओं से मिलकर उक्त मन्दिर की भूमि का बेचान करने पर आमादा है, जिसका प्रतिवादी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है अगर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार हो जाएगा तो प्रतिवादी मन्दिर की भूमि को भू माफियाओं से मिलकर और विक्रय कर देगा। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का खारिज होने योग्य है।

बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 सी0पी0सी0 पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि माफी मन्दिर श्री गिरधारी जी वाके किरोड़ी खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है, लेकिन उक्त भूमि पर वादी के पूर्वज अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त थे तथा आज वादी अपने हिस्से में आयी भूमि पर काबिज है व अपने परिवार सहित आबाद है इस प्रकार उक्त भूमि में वादी के हित निहित है तथा मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग है उसकी खातेदारी की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई हक व अधिकार नहीं है इसलिए वादी का कोई वाद कारण पैदा नहीं हुए हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

बहस में अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में से वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त सिर्फ खसरा न. 1098, 1104 व 1726 पर ही था इसलिए वादी ने अपने वादपत्र में खसरा न. 1098, 1104, 1726 में ही रिलिफ चाही है, अन्य खसरा नम्बरान से वादी का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड माफी मन्दिर श्री गिरधारी जी वाके किरोड़ी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है लेकिन उक्त भूमि पर वादी एवं वादी के पूर्वज काफी समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त हैं। उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मन्दिर के नाम दर्ज है तथा मन्दिर की खातेदारी भूमि को किसी व्यक्ति को बेचना, विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन प्रतिवादी भू माफिया से मिलकर उक्त भूमि का बेचान करने का आमादा है इसलिए उक्त माफी मन्दिर की भूमि को प्रतिवादी द्वारा बेचान करने से रोकने के लिए वादी ने यह वादपत्र पेश किया था, जिसका वादी को हक व अधिकार है। प्रतिवादी उक्त भूमि को भू माफियाओं से मिलकर बेचान करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। वादी वादपत्र में वर्णित भूमि का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार नही है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधिक वर्जित है। अतः यह वादी का वाद पत्र विधिक वर्जित होने के कारण अ0 आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के (d)where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law; के प्रावधान के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है तथा वादी का वाद पत्र खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:44:39 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के बिन्दु **(d)where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;** के प्रावधान के अनुसार प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वादपत्र विधिक वर्जित होने से खारिज किया जाता है।

17/1/23
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 17.01.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/1/23
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:44:39 IST
Reason: SelfAttested